रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939
No. 2333] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/ SRAVANA 26, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2667(अ).—यत:, मै. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य के पेरूनगालतूर गाँव, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

Ø-l-	vf/kl puk l[;k	fnukd	vf/kl fpr {k= gDV; j e	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ 1633(अ)	28.09.2006	10	–	10
(ii)	का. आ 1589(अ)	24.09.2007	13.40.88	–	26.40.88
(iii)	का. आ 2857(अ)	09.11.2009	–	7.75.78	15.65.10

और यत:, मैं. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 5.03.54 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया था तथा केन्द्र सरकार ने दिनांक 08.06.2010 को स्वीकृत कर दिया था;

और यत:, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 06.06.2017 के पत्र सं. 15967/एम.आई.इ.2/2016-5 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत:, विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 5.03.54 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **5.03.54 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र **10.61.56 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:—

तालिका

क्रं.स.	**ग्राम**	**सर्वे संख्या**	**अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
1.	पेरूनगालतूर	367/1ए2	02.57.62
2.		367/1सी पार्ट	02.38.56
3.		367/1डी पार्ट	00.07.36
	कुल		**05.03.54**
उपर्युक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			**10.61.56**

[फा. सं. एफ.2/92/2006-एस.ई.जेड़]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2667(E).—Whereas, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:—

S.No.	**Notification No.**	**Date**	**Notified Area in Hectares**	**De-notified Area in Hectares**	**Total Area in Hectares**
(i)	S.O. 1633 (E)	28.09.2006	10	-	10
(ii)	S.O. 1589 (E)	24.09.2007	13.40.88	-	23.40.88
(iii)	S.O. 2857 (E)	09.11.2009	-	**7.75.78**	**15.65.10**

AND, WHEREAS, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited has proposed for de-notification of 5.03.54 hectares and Central Government has granted approval on 08.06.2010.;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 15967/MIE.2/2016-5, dated 06.06.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 5.03.54 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 5.03.54 hectares**, thereby making resultant area as **10.61.56 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

S.No.	**Name of village.**	**Survey No.**	**Area to be de-notified (in Hectares)**
1.	Perungalathur	367/1A2	02.57.62
2.		367/1C Part	02.38.56
3.		367/1D Part	00.07.36
	Total		**05.03.54 hectares**
Total Remaining Area of SEZ after above deletion			**10.61.56 hectares**

[F. No. F.2/92/2006-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.19 16:51:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.